भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 509247

कार्यालय-[illegible] -वाराणसी

[illegible] 491 2011 [illegible] लेखपत्र

[illegible] 8650 2010 की

[illegible] 17 ।

[illegible]

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(हि० लि०)

सुनने वाला-श्रीमती आशा पाण्डेय
(हि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

T 309262

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : करौदी, जिला वाराणसी।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296.
5. मापन की ईकाई : वर्गमीटर
6. आराजी का क्षेत्रफल : 112.89 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : गैर चिन्हित कालोनी सड़क
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : लागू नही
9. आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : लागू नही
10. आराजी का कुल क्षेत्रफल : 112.89 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नही

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.H. Upadhyay Rajendra

Uma Didwania

V.H. Upadhyay Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309263

UTTAR PRADESH

(2)

12. स्थिति (वि.विकास/सोसाइटी) : लागू नहीं
13. पेड़ो का मूल्यांकन : कुछ नहीं
14. बोरिंग/कुआँ आदि : कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नहीं
16. निर्माण का वर्ष : लागू नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 5,88,000/-
20. देय स्टाम्प : 41,200/-

प्रथम पक्ष की संख्या-(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Uladhyay

Rajendra

Uma Didwania

V. H. Uladhyay

Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309264

प्रदेश UTTAR PRADESH (3)

चौहद्दी :-

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

नागेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्वर्गीय राजमोहन उपाध्याय सभी निवासीगण मौजा बनौली, परगना चैनपुर, जिला आरा, (शाहाबाद) बिहार वर्तमान निवासीगण मकान नम्बर बी-33/11 ए-5क, नरियां, शहर वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

नागेश

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

नागेश

V.M. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwani

Uma Didwani

Rajendra

V.M. Upadhyay

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

T 309228

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्रीमती उमा डिडवानियां पत्नी श्री अनुज कुमार डिडवानियां निवासिनी रोड नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्षकारी

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य पंडित राजमोहन उपाध्याय ने ओंकार कोठी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 मकिसा माहेश्वरी कुंवर वगैरह [illegible] खुद [illegible] कीमत काबिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा मौसूफा [illegible] रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द मजकूर का इन्दराज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3784 के पृष्ठ 308/312 पर क्रमांक 878 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहा मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना [illegible] खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwania

V. H. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309227

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रहा। पिता मजकूर वो स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान व काबिज दखील हुए जुज रकबा आराजी मजकूर पूर्व में ही मुन्तकिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम तनहां बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी में दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है और जो हर वुक्श मिल्कियत से पाक साफ व बेखलिश है और जिसके बाबत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल हुन हक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात हर एकसान हासिल है जो चाहे सो करे सरेदस्त हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरुरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरुरियात के दरपेश है और बिना आराजी उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व जरुरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हस्ब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरुरियात मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। बय की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेती श्रीमती उमा डिडवानियां पत्नी श्री अनुज कुमार डिडवानियां निवासिनी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी, प्रथम पक्ष की आराजियात मजकूर का जुज हस्ब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया)

चन्द्रमौली उपाध्याय

Uma Didwania

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

उ० नि० II

वाराणसी

Uma Didwa

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309226

प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

खरीदने को आमादा व तैयार है जो कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब है तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा सख्श तैयार नहीं है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हसब तफसील जैल को द्वितीय पक्ष/क्रेती उपरोक्त के हक में मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रूपया) में विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष द्वारा आराजी मजकूर के बाबत बहक द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेती अपने हक में बैनामा तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी हसब तफसील जैल का विक्रय पत्र बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रूपया) कि निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है बहक व बदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेती मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित्त होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रूपया) बजद कवल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेती से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रूबरू सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते है। अब द्वितीय पक्ष/क्रेती के जिम्में बाबत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा यदि

विरेन्द्र प्रताप सिंह

वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309198

प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बाबत अदायगी उक्त समक्ष बैनामा प्रस्तुत करते है तो वह बमुकाबिले बयनामा हाजा बातिल व नाजायज मुतसव्वर होगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेती का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुताल्लिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेती मजकूर कतई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेती को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहां मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रूपेण उपयोग व उपभोग अपने मनमाफिक करें अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है न आईन्दा होगा।

3. यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेती को हक हासिल हैं कि विक्रयशुदा आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम बतौर तनहां मालिका के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की होगी।

प्रताप सिंह
मि० लि०
तिवारी

उ० नि० II
वाराणसी

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Vadhyay

Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309197

प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

4. यह कि विक्रयशुदा आराजी हर तरह के बारदेन व नुक्स मिल्कियत आदि से पाक साफ है, कहीं किसी तरह से रेहन बंधक, बय, सट्टा, कुर्की, जमानत, मुकदमेबाजी, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेतागण के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर खिलाफ इसके आराजी विक्रयशुदा में किसी प्रकार का कोई नुक्स पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह फेल ख्वाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कुल ख्वाह जुज आराजी विक्रयशुदा पर से द्वितीय पक्ष/क्रेती मजकूर का कब्जा दखल निकल जावे या कोई बार मुतालिक आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो बहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेती मजकूर को हक हासिल है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

5. यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा आराजी का रजिस्टर्ड सट्टा किसी पक्ष के हक में नहीं हुआ है। विक्रयशुदा भूमि बशकल खुली आवासीय भूमि है जिस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता हरिमोहन उपाध्याय ने किता मुख्तारनामा आम दिनांकित 28-06-2010 बहक सगे भ्राता प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता चन्द्रमौलि उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया

सब रजि० II
वाराणसी

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH [9] K 249340

है जिसका इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर नम्बर 215 दिनांक 29-06-2010 को हुई है जो अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुकिर चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

7. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक हैं व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही हैं।

8. यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

9. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0 5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 112.89 वर्गमीटर का रु0 5,87,028/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 5,88,000/- रुपये पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 41,200/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

प्रताप सिंह

उ० नि० II
वाराणसी

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Vadhyay

Rajendra

Uma Didwania

V. H. Vadhyay

Rajendra

Uma Didwania

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH (10) AL 520262

10. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके विधिक प्रभाव से भली-भांति अवगत होकर हक्क द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा लायकलामी के हक्क द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

<u>विवरण आराजी विक्रयशुदा</u>

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1214.73 वर्गफीट यानि 112.89 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Vadhyay

Rajendra

Uma Didwania

नरेन्द्र प्रताप सिंह नि० लि०

कृष्णमुरारी लि०

बै० बे० लि०

उ० नि० II वाराणसी

V. M. Vadhyay

Rajendra

Uma Didwania

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(11)

AL 520261

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज वहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

पश्चिम: जुज आराजी मजकूर जो आज वहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kumar Pandey.
पिता का नाम : Shiv Kumar Pandey
पूरा पता : K.61/96 Bulanala VARANASI
हस्ताक्षर : A.K. Pandey

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.H. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwania

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०

कृष्ण मुरारी तिवारी
टे० बे० सि०

V.H. Upadhyay

Rajendra

Uma Didwania

उ० नि० II
वाराणसी

13

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH 10AB 848438

2. नाम : Chandera Shekhera Giri

पिता का नाम : Sri Nandlal Giri

पूरा पता : G. No. T. 6. B. Bhadour Chupi Rupchef Varanasi

हस्ताक्षर : C-S-Giri

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

मसविदाकर्ता :-

एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- मनोज यादव

मनोज यादव
चैम्बर नं0 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

Y. M. Wadhyay

Rajendra

Uma Didwania

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
नि0 लि0

कृष्ण मुरारी

Y. M. Wadhyay

दे0 बै0 लि0

Rajendra

उ0 नि0 II
वाराणसी

Uma Didwania

(14)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
वै० बे० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती [illegible]
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

15

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

...ष्पादन कर्ता/विक्रेता

...हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

...हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रमौली उपाध्याय
हस्ताक्षर

...म निष्पादन कर्ता/विक्रेता

...हिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

...यें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V. M. Upadhyay
हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
रि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
टै० ई० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(रि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती [illegible]
(टे० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

(16)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

Rajendra

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

Uma Didwania

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला–श्री [illegible] सिंह
[illegible]
सुनने वाला–श्री [illegible]
[illegible] लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
([illegible] लिo)
सुनने वाला-श्री [illegible]
([illegible] लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

रु.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

FIVE RUPEES

Rs.5

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 011352

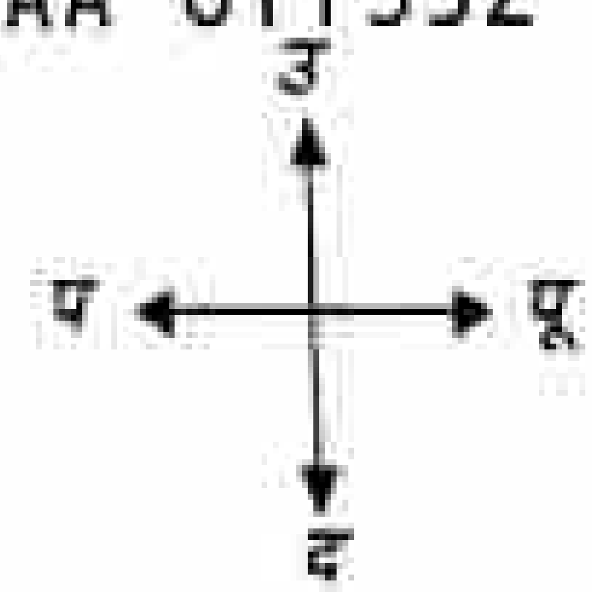

नक्शा नजरी बाबत

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1214.73 वर्गफीट यानि 112.89 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

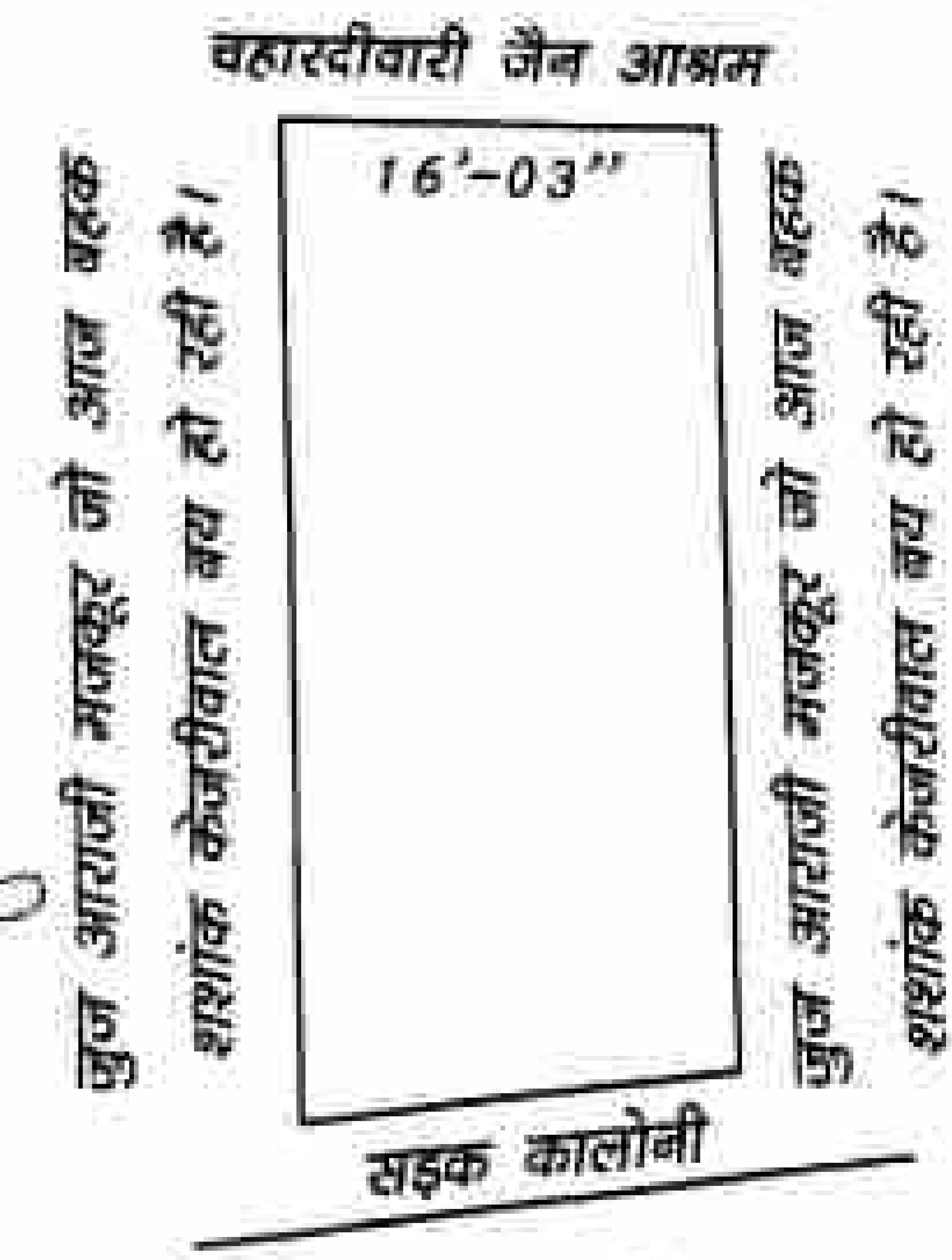

Drawn By : Manoj Yadav
Ch. No 5, Collectorate Court, Varanasi

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

Uma Didwania

Uma Didwania